- (c) in the entries under column (11),-
- (A) for the words and figures "the pay scale under Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2800", the words and figure "Level 5 in the pay matrix" shall be substituted;
- (B) Note 3, shall be omitted;

[F. No.3/4/SSB/CSC/Area/GP 'B'/2016/SFS]

R.B.S. NEGI, Dy. Secy. (Personnel)

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R 444 (E), dated the 14<sup>th</sup> June. 2012.

### वित्त मंत्रालय

### (व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2017

सा.का.िन. 122.—राष्ट्रपित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (समूह 'ग' और समूह 'घ') भर्ती नियम, 2001 को, जहाँ तक कि उनका संबंध प्रबन्धक श्रेणी-III, भण्डारी या सहायक प्रबन्धक-सह-भण्डारी, कोषाध्यक्ष, हलवाई, लिपिक/विक्रयकर्ता, सहायक हलवाई, रसोइया, चाय या काफी बनाने वाला, बैरा और वाश ब्याए के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के विभागीय कैंटीन/टिफ़िन कक्ष में सहायक प्रबन्धक-सह-भण्डारी, लिपिक, हलवाई-सहरसोईया, सहायक हलवाई-सह-रसोईया और कैंटीन परिचर के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (विभागीय कैंटीन) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **लागू होना:** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:- भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट होंगी।
- 5. **निरर्हता:** वह व्यंक्ति:—
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. शिथिल करने की शक्ति:- जहाँ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत. आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

7. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में नियोजित व्यक्तियों को यथा लागू केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों
	संख्या		स्तर	अचयन पद	के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक प्रबंधक सह- भण्डारी	33* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में	अचयन पद	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणः आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम
			'4-क' या उससे ऊपर के कैंटीनों में 500 रु/ प्रतिमाह विशेष भत्ता प्राप्त करेगा।	-	तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है और पद के रोजगार समाचार या समाचारपत्र में विज्ञापित होने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक आवेदन माँगे गए हैं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी अन्य विधाशाखा में स्नातक के साथ एक मान्यता प्राप्त संस्था से लेखा रखने की प्रणाली या भंडारण की प्रणाली में एक वर्ष का डिप्लोमा। (ख) सरकारी विभाग या उपक्रम में भंडारों या लेखाओं के प्रचालन में तीन वर्षों का अनुभव।  टिप्पण 1: अर्हताएं (अर्हता), अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा	लागू नहीं होता ,	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने

में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबब्धी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

# प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति किया जाएगा

(11)

प्रोन्नति: (i) ऐसे लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्निस के स्तर-2 में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

(ii) ऐसे हलवाई-सह-रसोईया जिन्हें वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 में पाँच वर्ष नियमित सेवा के साथ सरकारी विभाग या उपक्रम में भण्डारों या लेखाओं के प्रचालन में दो वर्ष का अनुभव हो और मान्यता प्राप्त बोर्ड से वाणिज्य विषय में बारहवीं पास शैक्षिक अर्हता रखते हों।

टिप्पण 1: पदोन्नति के लिए पात्रता सूची, अधिकारी द्वारा सम्बंधित ग्रेड या पद में निर्धारित योग्यता सेवाओं के पूरा करने की तारीख के सन्दर्भ में तैयार की जाएगी।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 3: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलातपूर्वक पूरी कर ली हो।

### प्रतिनियुक्तः

केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी -

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
  - (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में आठ वर्ष नियमित सेवा की हों; और
  - (iii) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों; और
- (ख) सरकारी विभाग या उपक्रम में भण्डारों या लेखाओं के प्रचालन में तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सींधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में
पाद विभागाय प्राज्ञात सामात है, तो उसका सरवना	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
	किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं पृष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
होंगे:-	करना आवश्यक नहीं है।
1. निदेशक या उपनिदेशक या जयेष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार	
प्रशासनिक समूह का भारसाधक (कार्यालय जिसमे प्रोन्नतियों के संबंध में	
विचार किया जा रहा है।) – अध्यक्ष	* 1
2. निदेशक या उपनिदेशक या ज्येष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार या	7
समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी (ऐसे कार्यालय को छोड़कर जिससे	
प्रोन्नतियों के संबंध में विचार किया जा रहा है।) — सदस्य	
3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा परीक्षा	
अधिकारी या लेखा परीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा	
अधिकारी की पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी – सदस्य	

आधार पर परिवर्तन किया अराजपत्रित, जा सकता है। अननुसचिवीय किया अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पणः आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है और पद के रोजगार समाचार या समाचारपत्र में विज्ञापित होने की दशा में आयु सीमा अवधारित						
*कार्यभार के केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' असुदेशों पा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। जिन्म तिकार का सकता है। अननुसचिवीय वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है और पद के रोजगार समाचार या समाचारपत्र में विज्ञापित होने की दशा में आयु सीमा अवधारित	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होगी जिस तक आवेदन माँगे गए हैं।		98* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित,	वेतन मैट्रिक्स में	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  टिप्पणः आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है और पद के रोजगार समाचार या समाचारपत्र में विज्ञापित होने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से वाणिज्य विषय के साथ बारहवीं कक्षा पास	लागू नहीं	सीधे भर्ती किए	
या समतुल्य; और	होता	0 1: 1	जिसके न हो सकने
(ख) कम्पयुटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द		व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रति मिनट की टंकण गित।
(प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 की डीप्रेशन के साथ 10500 की
डीप्रेशन प्रति घंटा या 9000 की डीप्रेशन प्रति घंटा, 35 शब्द प्रति
मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट, के तत्स्थानी हैं।)
टिप्पण 1: अर्हताएं (अर्हता), अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा
में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, भारत के नियंत्रकमहालेखापरीक्षक के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।
टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए
जाएं, भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक के विवेकानुसार अनुसूचित
जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब
शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर भारत के
नियत्रंक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित
रिक्तियों के भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(11)

### प्रोन्नति:

कैन्टीन परिचर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

(कैंटीन परिचरों की लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से संघटनात्मक व्यवहार, संचार कौशल और लेखा व्यवहार पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण वांछित होगा।)

टिप्पण 1: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 2: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलातपूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं पुष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
<ol> <li>निदेशक या उपनिदेशक या ज्येष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार प्रशासनिक समूह भारसाधक (कार्यालय जिसमें प्रोन्नतियों के संबंध में विचार किया जा रहा है।)</li> </ol>	16.6.
<ol> <li>निदेशक या उपनिदेशक या ज्येष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार या समतुल्य पंक्ति कोई अधिकारी (ऐसे कार्यालय को छोड़कर जिससे प्रोन्नतियों के संबंध में विचार किया जा न्</li> </ol>	
है।) – सदस	य
3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी	या

लेखा परीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा अधिकारी की पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी – सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. हलवाई- सह- रसोईया	(-) 67*(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 3	अचयन पद	(७) 18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  टिप्पणः आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है और पद के रोजगार समाचार या समाचारपत्र में विज्ञापित होने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक आवेदन माँगे गए हैं।

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा पास के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से	लागू नहीं	सीधे भर्ती	प्रोन्नति द्वारा
खानपान में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र; और	होता	किए जाने	जिसके न हो
(ख) सरकारी विभाग या उपक्रम में सुसंगत क्षेत्र में दो वर्षों का अनुभव रखने		वाले व्यक्तियों के	सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।		लिए दो वर्ष	प्रातानयाक्त द्वारा     और दोनों के न
(अभ्यर्थी की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए खाना पकाने के लिए			हो सकने पर
विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा एक व्यवसाय कौशल परीक्षण संचालित	21		सीधी भर्ती द्वारा
किया जाएगा।)			
टिप्पण: अनुभव संबधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं,			
भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों			*
और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा			
सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक			
की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित		9	7.5 50 7
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध			
होने की संभावना नहीं है।			

(11)

## प्रोन्नति:

1. ऐसे सहायक हलवाई-सह-रसोईया जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

िटप्पण 1: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी,

2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना
का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित

तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 2: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलातपूर्वक पूरी कर ली हो।

### प्रतिनियुक्तः

केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी-

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
  - (ii) सहायक हलवाई-सह-रसोईया जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखता हो
  - (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा पास के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से खान-पान में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र;
  - (ii) सरकारी विभाग या उपक्रम में सुसगंत क्षेत्र में दो वर्षों का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

<ol> <li>तिदेशक या उपनिदेशक या ज्येष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार प्रशासनिक समूह का भारसाधक (कार्यालय जिसमे प्रोन्नतियों के संबंध में विचार किया जा रहा है।) – अध्यक्ष</li> <li>तिदेशक या उपनिदेशक या ज्येष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी (ऐसे कार्यालय को छोड़कर जिससे प्रोन्नतियों के संबंध में विचार किया जा रहा है।) – सदस्य</li> <li>ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी या लेखा परीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी की पंक्ति का कोई</li> </ol>	(12)	(13)
<ul> <li>1. निदशक या उपानदशक या ज्यष्ठ उप महालखाकार या उप महालखाकार प्रशासानक समूह का भारसाधक (कार्यालय जिसमे प्रोन्नतियों के संबंध में विचार किया जा रहा है।) – अध्यक्ष</li> <li>2. निदेशक या उपनिदेशक या ज्येष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी (ऐसे कार्यालय को छोड़कर जिससे प्रोन्नतियों के संबंध में विचार किया जा रहा है।)  — सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी या लेखा परीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी की पंक्ति का कोई</li> </ul>	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं पुष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	संघ लोक सेवा आयोग
का कोई अधिकारी (ऐसे कार्यालय को छोड़कर जिससे प्रोन्नतियों के संबंध में विचार किया जा रहा है।)  — सदस्य  3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी या लेखा परीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा अधिकारी की पंक्ति का कोई		
3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी या लेखा परीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा अधिकारी की पंक्ति का कोई		
अन्य अधिकारी – सदस्य	3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी या लेखा परीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा अधिकारी की पंक्ति का कोई	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक हलवाई- सह- रसोईया	50*(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 2	अचयन पद	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  टिप्पणः आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है और पद के रोजगार समाचार या समाचारपत्र में विज्ञापित होने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक आवेदन माँगे गए हैं।

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा पास के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से	लागू नहीं	सीधे भर्ती	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
खान-पान में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र एवं व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव।	होता	किए जाने	जिसके न हो
		वाले व्यक्तियों के	सकने पर प्रतिनियुक्ति
(अभ्यर्थी की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए स्वच्छता के रखरखाव आदि को		व्याक्तया क लिए दो वर्ष	प्रातानयाक द्वारा और
सम्मिलित करते हुए खाना पकाने के लिए विभागीय प्रोन्नित समिति द्वारा एक		ालपु पा पप	दोनों के न हो
व्यवसाय कौशल परीक्षण संचालित किया जाएगा।)		1	सकने पर
टिप्पण: अनुभव संबधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं,	IS.		सीधी भर्ती
भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और			द्वारा
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है			
जब चयन के किसी प्रक्रम पर भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक की यह राय			
है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने			
वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना		× 1	
नहीं है।			

### प्रोन्नति:

ऐस केन्टीन परिचर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

(अभ्यर्थी की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए स्वच्छता आदि रख-रखाव को सम्मिलित करते हुए खाना पकाने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा एक व्यवसाय कौशल परीक्षण संचालित किया जाएगा।)

टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी,

2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 2: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलातपूर्वक पूरी कर ली हो।

### प्रतिनियक्तः

केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
- (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में ऐसे केन्टीन परिचर जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और हलवाई-सह-रसोईया के सहायक के रूप में एक वर्ष का अनुभव रखता हो।
- (iii) मान्यता प्राप्त संस्थान से खान-पान में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

	(12)	(13)
समूह 'ग	' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं पुष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	संघ लोक सेवा आयोग से
1.	निदेशक या उपनिदेशक या ज्येष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार	परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
	प्रशासनिक समूह का भारसाधक (कार्यालय जिसमे प्रोन्नतियों के संबंध में विचार	
	किया जा रहा है।) – अध्यक्ष	,
2.	निदेशक या उपनिदेशक या जयेष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी (ऐसे कार्यालय को छोड़कर जिससे प्रोन्नतियों	→ □
	के संबंध में विचार किया जा रहा है।) - सदस्य	
3.	जयेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी या लेखा परीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा	y.
	अधिकारी की पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी – सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. कैन्टीन परिचर	393*(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में <i>स्तर</i> – 1	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच  (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  टिप्पणः आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है और पद के रोजगार समाचार या समाचारपत्र में विज्ञापित होने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक आवेदन माँगे गए हैं।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड में दसवीं कक्षा पास या	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता
समतुल्य।			द्वारा	

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं पुष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
<ol> <li>निदेशक या उपनिदेशक या ज्येष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार प्रशासनिक समूह का भारसाधक (कार्यालय जिसमे प्रोन्नतियों के संबंध में विचार किया जा रहा है।)</li> </ol>	
<ol> <li>निदेशक या उपनिदेशक या ज्येष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी (ऐसे कार्यालय को छोड़कर जिससे प्रोन्नतियों के संबंध में विचार किया जा रहा है।)</li> </ol>	
<ol> <li>ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी या लेखा परीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा अधिकारी की पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी – सदस्य</li> </ol>	

[फा. सं.ए-12018/02/2011-ई जी(भाग-II**)**]

निर्मला देव, उप सचिव (ई.जी.)

### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Expenditure)

New Delhi, the 17th April, 2017

G.S.R. 122.— In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution, and in suppression of the Indian Audit and Accounts Department (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 2001, in so far as they relate to the posts of Manager Grade-III, Store Keeper or Assistant Manager-cum-store-keeper, Cashier, Halwai, Clerk/Salesman, Assistant Halwai, Cook, Tea or Coffee Maker, Bearer and Wash Boy, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Manager-cum-Store Keeper, Clerk, Halwai-cum-Cook, Assistant Halwai-cum-Cook and Canteen Attendant in the Departmental Canteens or Tiffin Rooms in the Indian Audit and Accounts Department, namely:-

- 1. **Short title and commencement.- (1)** These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Departmental Canteen) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2017.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Application.** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix.** The number of said posts, their classification and Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 5. **Disqualification.** No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Comptroller and Auditor-General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. **Power to relax.** Where the Comptroller and Auditor- General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. **Saving.**-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### **SCHEDULE**

Name of	Number of	Classification.	Level in the Pay	Whether	Age limit for direct recruits
the post	post		Matrix	selection post	
				or non-selection	,
				post	a a
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	33*	General	Level 4 in the	Non-selection	Between 18 and 25 years, (Relaxable
Assistant	(2017)	Central	Pay Matrix.		for Government servants upto 40
Manager-	*Subject	Service,	Note:- He shall		years in accordance with the
cum-Store	to	Group 'C',	also draw a		instructions or orders issued by the
Keeper.	variation	Non-	special allowance		Central Government from time to
	dependent	Gazetted,	of 250 rupees per		time).
	on work	Non-	month for	= 2	Note: The crucial date for
	load.	Ministerial.	attending to		determining the age limit shall be the
			duties in		last date upto which the
			Canteens Type	8	Employment Exchange is asked to
			'A', 'B', 'C', '2-A'		submit names and in case the post is

and '3-A' and Rs.500/- per	advertised in the Employment News or the Newspaper, the crucial date
month in	for determining the age limit shall be
Canteens Type '4-A' and above.	the last date upto which applications have been called for.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment- whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(a) Bachelor's degree in Commerce from a recognised university or bachelor's degree in any other discipline from a recognised university with one year diploma in book keeping or store keeping from a recognised institution; and	No	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.
(b) three years experience in handling stores or accounts in a Government Department or Undertaking.  Note 1: Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Comptroller and Auditor-General of India for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Comptroller and Auditor-General of India for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Comptroller and Auditor-General of India is of the opinion that sufficient numbers of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill-up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation to be made

(11)

### **Promotion:**

- (i) Clerks with atleast eight years' regular service in Level 2 in the Pay Matrix.
- (ii) Halwai-cum-Cook with five years' regular service in **Level 3 in the Pay Matrix** with two years experience in handling stores or accounts in a Government Department or Undertaking and possessing the educational qualification of 12<sup>th</sup> Class Pass with Commerce from a recognised Board.
- **Note 1:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officer of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.
- **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the

recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

**Note 3:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

#### **Deputation:**

#### Officials of the Central Government -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or
  - (ii) with atleast eight years' regular service in Level 2 in the Pay Matrix; and
  - (iii) possessing the educational qualification as prescribed for direct recruits under column (7); and
- (b) three years experience in a Government Department or Undertaking in handling Stores or Accounts.

**Note 1:** The Departmental officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 3**: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the
	Union Public Service
	Commission is to be consulted
	in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and	Consultation with Union Public
confirmation) consisting of –	Service Commission not
	necessary.
1. Director or Deputy Director or Senior Deputy Accountant General or Deputy	
Accountant General in charge of Administration (of the office in which	
promotions are to be considered) — Chairman	e .
2. An officer in the rank of Director or Deputy Director or Senior Deputy	
Accountant General or Deputy Accountant General (from an office other than the	
office in which promotions are to be considered)  — Member	
3. An officer in the rank of Senior Administrative Officer or Administrative Officer	
or Senior Audit Officer or Audit Officer or Senior Accounts Officer or Accounts	
Officer – Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Clerk.	98* (2017) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level 2 in the Pay Matrix.	Non- selection	Between 18 and 25 years, (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).  Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto, which the Employment Exchange is asked to submit names and in case the post is advertised in the Employment News or the Newspaper, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) 12 <sup>th</sup> Class Pass or equivalent with Commerce from a recognised Board; and	No	Two	Promotion
(b) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in		years for	failing which
Hindi on computer.(corresponding to 10500 Key Depression Per Hour or		direct	by Direct
9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 key depressions for each word).		recruits.	Recruitment.
<b>Note1:</b> Qualification is relaxable at the discretion of the Comptroller and Auditor-General of India for reasons to be recorded in writing in the case of candidate otherwise well qualified.			
Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Comptroller and Auditor-General of India for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Comptroller and Auditor-General of India is of the opinion that sufficient numbers of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill-up the vacancies reserved for them.			

### **Promotion:**

Canteen Attendant with atleast three years' regular service in Level 1 in the Pay Matrix.

(A two weeks training on Organisational behavior, Communication skill and Accounting practices from Institute of Secretariat Training and Management or any other recognised Institute shall be desirable for the Canteen Attendants for promotion to the post of Clerk.)

**Note 1:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

**Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

	(12)		(1.	3)	
Gr	oup 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation)	Consult	ation	with	Union
con	sisting of –	Public	Service	Com	mission
		not nece	essary.		
1.	Director or Deputy Director or Senior Deputy Accountant General or Deputy				
	Accountant General in charge of Administration (of the office in which				
	promotions are to be considered) — Chairman				
2.	An officer in the rank of Director or Deputy Director or Senior Deputy Accountant				
	General or Deputy Accountant General (from an office other than the office in				
	which promotions are to be considered) — Member				
3.	An officer in the rank of Senior Administrative Officer or Administrative Officer				
	or Senior Audit Officer or Audit Officer or Senior Accounts Officer or Accounts				
	Officer – Member				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
3. Halwai-	67* (2017)	General	Level 3	Non-	Between 18 and 25 years, (Relaxable for		
cum-Cook.	*Subject to	Central	in the	selection	Government servants upto 40 years in		
	variation	Service,	Pay		accordance with the instructions or orders		
-	dependent	Group 'C',	Matrix.		issued by the Central Government from time to		
	on work	Non-Gazetted,		-	time).		
	load.	Non-		. 7			
	-	Ministerial.			<b>Note:</b> The crucial date for determining the age		
		2			limit shall be the last date upto, which the		
			,		Employment Exchange is asked to submit		
				-	names and in case the post is advertised in the		
		-			Employment News or the Newspaper, the		
					crucial date for determining the age limit shall		
		=			be the last date upto which applications have		
9		2			been called for.		

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) 10 <sup>th</sup> Class Pass from a recognised Board, with a certificate or diploma in	No	Two years	Promotion
catering from a recognised institution; and		for direct	failing which by
		recruits.	Deputation and
(b) two years experience in a Government Department or			failing both by
Undertaking in the relevant field shall be preferred.			Direct
			Recruitment.
(A Trade Skill Test for cooking shall be conducted to assess suitability of the candidate.)	9		
<b>Note:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of			
the Comptroller and Auditor-General of India for reasons to be recorded in			
writing in case of candidates belonging to the Schedule Castes or the			
Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Comptroller and Auditor-			
General of India is of the opinion that sufficient number of candidates			
belonging to these communities possessing the requisite experience are not	9		
likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

#### Promotion:

1. Assistant Halwai-cum-Cook with atleast three years' regular service in Level 2 in the Pay Matrix.

**Note 1:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

**Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

#### **Deputation:**

#### Officials of the Central Government -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or
  - (ii) Assistant Halwai-cum-Cook with atleast three years' regular service in Level 2 in the Pay Matrix; and
- (b) possessing the educational qualifications of
- (i) 10<sup>th</sup> Class Pass from a recognised Board, with a certificate or diploma in catering from a recognised institution; and
  - (ii) two years experience in a Government Department or Undertaking shall be preferred.

**Note 1:** The Departmental officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 3:** For the purpose of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation	Consultation with Union
consisting of:-	Public Service Commission
1. Director or Deputy Director or Senior Deputy Accountant General or Deput	not necessary.
Accountant General in charge of Administration (of the office in which promotion are to be considered)  — Chairman	3
<ol> <li>An officer in the rank of Director or Deputy Director or Senior Deputy Accountant General or Deputy Accountant General (from an office other than the office is which promotions are to be considered)</li></ol>	- 1
<ol> <li>An officer in the rank of Senior Administrative Officer or Administrative Officer or Senior Audit Officer or Audit Officer or Senior Accounts Officer or Account Officer</li> </ol>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	50*	General Central	Level 2 in	Non-	Between 18 and 25 years, (Relaxable for
Assistant	(2017)	Service, Group	the Pay	selection	Government servants upto 40 years in
Halwai-	*Subject to	'C', Non-	Matrix.		accordance with the instructions or orders
cum-Cook.	variation	Gazetted, Non-			issued by the Central Government from
	dependent	Ministerial.			time to time).
	on work				<b>Note:</b> The crucial date for determining the
	load.				age limit shall be the last date upto, which
		*			the Employment Exchange is asked to
		-			submit names and in case the post is
		=	-		advertised in Employment News or
		v <sup>a</sup>		-	Newspaper, the crucial date for
					determining the age limit shall be the last
			120		date upto which applications have been
					called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) 10 <sup>th</sup> Class Pass from a recognised Board, with a certificate or	No	Two	Promotion failing
diploma in catering from a recognised Institution; and one year		years for	which by deputation
experience in the trade.		direct	and failing both by
(A Trade Skill Test for cooking including maintenance of hygiene, etc.,		recruits.	Direct Recruitment.
shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to			
assess the suitability of the candidate.)			
Note: The qualification regarding experience is relaxable at the			
discretion of the Comptroller and Auditor-General of India for reasons			
to be recorded in writing in case of candidates belonging to the			
Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection			
the Comptroller and Auditor-General of India is of the opinion that			
sufficient number of candidates belonging to these communities			
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill			
up the vacancies reserved for them.			,

### **Promotion:**

Canteen Attendant in Level 1 in the Pay Matrix with atleast three years' regular service.

(A Trade test shall be conducted by the Departmental Promotion Committee for cooking including maintenance of hygiene, etc., to assess the suitability of the candidate).

**Note 1:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

**Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

#### **Deputation:**

Officials of the Central Government -

- (i) holding analogous post on regular basis; or
- (ii) Canteen Attendant in Level 1 in the Pay Matrix with atleast three years' regular service in the grade having one year experience as helper to Halwai- cum-Cook; and
- (iii) possessing a certificate or diploma in catering from a recognised institute.

**Note 1:** The Departmental officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 3**: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for Promotion and	Consultation with Union Public
confirmation) consisting of:-	Service Commission not
1. Director or Deputy Director or Senior Deputy Accountant General or Deputy	necessary.
Accountant General in charge of Administration (of the office in which	
promotions are to be considered) — Chairman	
2. An officer in the rank of Director or Deputy Director or Senior Deputy	
Accountant General or Deputy Accountant General (from an office other than the	
office in which promotions are to be considered) — Member	
3. An officer in the rank of Senior Administrative Officer or Administrative	
Officer or Senior Audit Officer or Audit Officer or Senior Accounts Officer or	
Accounts Officer – Member	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Canteen	393* (2017)	General Central	Level 1 in	Not	Between 18 and 25 years, (Relaxable
attendant.	*Subject to	Service, Group	the Pay	applicable	for Government servants upto 40 years
	variation	'C', Non-	Matrix.		in accordance with the instructions or
	dependent on	Gazetted,			orders issued by the Central
	work load.	Non-Ministerial.	100	1 1	Government from time to time).
				(6)	
					Note: The crucial date for determining
	11				the age limit shall be the last date upto,
					which the Employment Exchange is
			166-	10	asked to submit names and in case the
				<b>e</b>	post is advertised in the Employment
	1				News or the Newspaper, the crucial
	5				date for determining the age limit shall
					be the last date upto which applications
					have been called for.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10 <sup>th</sup> class pass or equivalent	Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable
from a recognised Board				

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation)	Consultation with Union Public Service
consisting of:-	Commission not necessary.
Director or Deputy Director or Senior Deputy Accountant General or Deputy Accountant General in charge of Administration (of the office in which promotions are to be considered) — Chairman	
<ol> <li>An officer in the rank of Director or Deputy Director or Senior Deputy Accountant General or Deputy Accountant General (from an office other than the office in which promotions are to be considered)</li></ol>	
3. An officer in the rank of Senior Administrative Officer or Administrative Officer or Senior Audit Officer or Audit Officer or Senior Accounts Officer or Accounts Officer — Member	

[F. No. A-12018/02/2011-EG(Vol-II)] NIRMALA DEV, Dy. Secy. (EG)

# मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2017

- सा. का. नि. 123—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, विभागीय कैंटीन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-
- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, विभागीय कैंटीन (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, विभागीय कैंटीन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 में-
- (1) नियम 2 में शब्दों "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" के स्थान पर दोनों जगह "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जायेंगे;
  - (2) अनुसूची में-
- (क) सहायक प्रबंधन-सह-स्टोर कीपर के पद के लिए
  - (i) स्तंभ (4) में
  - (क) शीर्षक के लिए निम्नलिखित शीर्षक रखा जायेगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर";